मेरा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली, (विप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी संवेदनाएं और योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली है जो नारी शक्ति के जीवन को आसान बना रही है और उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी वह महिलाओं के कल्याण की बात करते है, विपक्षी दल उसे उन्हें गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करता है।

इस अवसर पर उन्होंने नमो ड्रोन दीदियों की ओर से कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का प्रदर्शन देखा और 1,000 से अधिक नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। कार्यक्रम के दौरान कुछ ड्रोन दीदियों से संवाद करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर मे देखा, अपने आस-पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है।

उन्होंने कहा कि इसलिए ये योजनाएं नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाती है और उनकी मुश्किलें कम करती है। उन्होंने कहा, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले, परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नही आ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग-अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण लखपति दीदी बन चुकी है।

मोदी ने कहा कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है और उनका लक्ष्य अब तीन करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है। उन्होंने कहा, हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। इस आयोजन के समय देशभर में 11 अलग-अलग जगहों से भी नमो ड्रोन दीदियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया, जिन्होंने दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से सफलता प्राप्त की है और वे अन्य स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों के उत्थान के लिए मददगार बन रही है तथा उन्हें प्रेरित कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये का ऋण भी प्रदान किया। ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्यम से दिए जा रहे है। प्रधानमंत्री ने कहा, हर बार जब मै आपके कल्याण की बात करता हूं, कांग्रेस इसे मुझे गाली देने के अवसर के रूप में उपयोग करती है। परिवारवादी पार्टियां कभी भी आपके संघर्षो से जुड़ नहीं सकतीं। मोदी ने कहा कि 2014 से उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाने की कोशिश की है जो महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव में उनकी सहायता करें।

उन्होंने कहा, प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने तक, हमने महिलाओं को सभी जरूरतों का ध्यान रखा है।

भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सांसद राहुल कस्वां

नई दिल्ली, (वीअ)। राजस्थान के चुरू क्षेत्र से लोकसभा सदस्य राहुल कस्वां सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उन्होंने पार्टी को सदस्यता ग्रहण की। खरगे ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे। भाजपा द्वारा लोकसभा टिकट काटे जाने के बाद कस्वां ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस में कस्वां का स्वागत करते हुए खरगे ने कहा, पार्टी में शामिल होने पर मै राहुल कस्वां जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि सामंतवादी लोगों के खिलाफ लड़ने वाले राहुल कस्वां जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए है।

उन्होंने यह भी कहा, अगर ऐसी विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ते गए तो भाजपा कहीं की नहीं रहेगी। भाजपा डराने-धमकाने जैसा काम हमेशा से करती आई है लेकिन हमें राहुल कस्वां जी जैसे लोगों की जरूरत है। खरगे के अनुसार, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत, सचिन पायलट तथा कुछ अन्य लोगों से बातचीत एवं सहमति बनाने के बाद कस्वां को पार्टी में शामिल करने का फैसला हुआ।

कस्वां ने कहा, अपने लोकसभा क्षेत्र चुरू की जनभावनाओं के अनुरूप आज मै कांग्रेस पार्टी मे शामिल हुआ हूं। इस मौके पर मै खरगे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। भाजपा सरकार में लगातार किसानों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। कई और ऐसे मुद्दे है, जिन्हें देखते हुए आज कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी में रहकर मै जनता के हित में काम करता रहूंगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले कस्वां ने भारतीय जनता पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, 'राम-राम मेरे चूरू लोकसभा परिवार.....मेरे परिवारजनोंउ आप सब की भावनाओं के अनुरूप, मै सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं। राजनीतिक कारणों के चलते आज इसी समय, मै भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं संसद सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कस्वां ने कहा, 'समस्त भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी. नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 10 वर्षों तक चूरू लोकसभा परिवार की सेवा करने का अवसर दिया। विशेष आभार मेरे चूरू लोकसभा परिवार का, जिन्होंने मुझे सदैव बहुमूल्य साथ, सहयोग और आशीर्वाद दिया। भाजपा ने चुरू सीट से नये चेहरे देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। झाझड़िया पैरालंपिक में दो बार स्वर्ण तथा एक बार रजत पदक जीत चुके है।

टिकट कटने के बाद कस्वां ने एक्स पर लिखा था, आखिर मेरा गुनाह क्या था–8230ष्ठ? क्या मै ईमानदार नही था? क्या मै मेहनती नहीं था? क्या मै निष्ठावान नहीं था? क्या मै दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी?

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गत दो मार्च को राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चार केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने साईबाबा को बरी करने के आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार

नई दिल्ली, (विसं)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और अन्य को माओवादियों से संबंध के मामले में बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध मानने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया तर्कसंगत है। लेकिन, न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई।

पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के मौखिक अनुरोध को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि यह बड़ी मुश्किल से बरी किए जाने का मामला है और सामान्य तौर पर, इस अदालत को यह अपील खारिज कर देनी चाहिए थी।

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)
NOTICE UNDER ORDER V RULE 20,
R/W SEC 151 CODE OF CIVIL PROCEDURE
CS(COMM) 706/2022
TRILOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ...PLAINTIFF(S)
Vs
FLIPKART INTERNET PRIVATE LIMITED & ORS. ...DEFENDANT(S)

To
DEFENDANT NO. 2
SAIRA BAND TRADING AS ROYAL FOODS/AMUSTACH KATRA BARYAN, FATEH PURI, NEW DELHI-110006 GST NO. 07BJOPS7284G1Z6

WHEREAS the above named plaintiff(s) has/have instituted a suit against the above named defendant(s) and whereas it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you, the above named defendant(s) to make appearance before the Joint Registrar (Judicial) on 23th day of April, 2024 at 11:00 A.M. Take further notice that in default of your appearance on the date fixed and in the matter mentioned above the petition will be heard and determined ex-parte in your absence. Given under my hand and the seal of this Court, this the 16th Day of February 2024.

DEPUTY REGISTRAR (IPD)
For REGISTRAR GENERAL

SHRIRAM Finance

श्रीराम फायनान्स लिमिटेड
(पूर्व में श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

सार्वजनिक सूचना

हमारे ग्राहकों को और जनता को सूचित किया जाता है की, हमारी हापुड़ शाखा जो पहली मंजिल, ओम पैलेस सिनेमा, दिल्ली रोड बस स्टैंड के सामने, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 245101 में है, वह अब 24 जून, 2024 से मकान न. एचपीयु/डब्ल्यु-18/23, पहली मंजिल, दिल्ली रोड, हापुड़, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 245101 यहाँ स्थानांतरीत की जाएगी।

ग्राहकों से निवेदन है की अन्य किसी भी सहायता के लिए नई शाखा से संपर्क करें।

क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्रीमती भगन निशा पत्नी श्री अलाउद्दीन अंसारी निवासी बी-40a, डीडीए कॉलोनी, चौखंडी तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 ने अपने पुत्र श्री नसीम अंसारी पुत्र अलाउद्दीन अंसारी एवं उनकी पत्नी यासीन अंसारी को उनके दुर्व्यवहार एव मेरे मुवक्किल एव उनके परिवार के नियंत्रण द रहने मे न होने के कारण उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पति से बेदखल करते हुए उनसे अपने सभी पारिवारिक संबंध तोड़ दिए है। यदि कोई उनसे किसी प्रकार का लेन-देन या व्यवहार करता है तो वह अपने जोखिम पर करेगा मेरे मुवक्किल एवं उनके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सलमान मलिक, अधिवक्ता, आफिस कम रेसी: डब्ल्यूजैड-23सी राम नगर एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018

Public Notice

Be it known to the public at large that my client, Ramesh Chandra S/o Late Pyare Lal, R/o C-344, Gali No. 12, Ganga Vihar, Delhi-110094 have severed all her relation from her daughter-in-law namely Archana Rani W/o Late Jitendra D/o Heera Lal, and disowned and debarred to them from all her moveable and immoveable properties, due to their maltreatment and misbehaviour. Anybody dealing with them shall be responsible himself for their acts. **Dhirendra Singh, Advocate, Chamber No. F-527, Karkardooma Courts, Delhi.**

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जनपद–शाहजहांपुर

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत रागर प्लान 2024–25, (फेज़–प्रथम) के अन्तर्गत कार्य करने के इच्छुक सक्षम निविदाकारों से ई–टेण्डर पोर्टल (www.etender.up.nic.in) के माध्यम से निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है– 1. अल्पकालीन निविदा संख्या 116(कार्य)/वि.वि.मं. शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 11 केवी वी.सी.बी. पैनल/बैटरी चार्जर सेट की स्थापना सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 2. अल्पकालीन निविदा संख्या 117(कार्य)/वि.वि.मं. शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि एवं नवीन वितरण परिवर्तकों की स्थापना सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 3. अल्पकालीन निविदा संख्या 118(कार्य)/वि.वि.मं.शाह/2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न 11 केवी लाईन निर्माण सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 4. अल्पकालीन निविदा संख्या 119(कार्य)/वि.वि.मं. शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि एवं नवीन वितरण परिवर्तकों की स्थापना सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 5. अल्पकालीन निविदा संख्या 120(कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 11 केवी अन्टा फीडर, रेलवे फीडर एवं रंगमहला फीडर के बाईफरकेशन सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 6. अल्पकालीन निविदा संख्या 121 (कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत जर्जर तार को बदलने हेतु/सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट सम्बन्धित विभिन्न कार्यो को कराये जाने हेतु। 7. अल्पकालीन निविदा संख्या 122(कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न उपकेन्द्रों में 11 केवी वी.सी.बी. पैनल/बैटरी चार्जर सेट की स्थापना सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 8. अल्पकालीन निविदा संख्या 123 (कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–जलालाबाद, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत बाल्मीकी प्वाइंट से बरेली रोड तक XLPE केबिल/ओरवहेड लाईन के निर्माण सम्बन्धित कार्यो को कराये जाने हेतु। 9. अल्पकालीन निविदा संख्या 124 (कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–पुवायां, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि एवं नवीन वितरण परिवर्तकों की स्थापना सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 10. अल्पकालीन निविदा संख्या 125 (कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–पुवायां, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत 11 केवी लाईन निर्माण सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। 11. अल्पकालीन निविदा संख्या 126(कार्य)/वि.वि.मं.शाह./2023–24 विद्युत वितरण खण्ड–तिलहर, शाहजहाँपुर के अन्तर्गत विभिन्न वितरण परिवर्तकों के क्षमतावृद्धि सम्बन्धित कार्य को कराये जाने हेतु। उपरोक्त वर्णित निविदा के सापेक्ष बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि 27.03.2024 (12:00 बजे तक) एवं खोले जाने की तिथि 27.03.2024 (14:00 बजे) नियत है। उक्त निविदा से सम्बन्धित अन्य सुसंगत विवरण यथा निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in/ पर अवलोकित किये जा सकते है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: 1377/11.03.2024

वीर अर्जुन
वर्गीकृत विज्ञापन
Change of Name

I, hitherto known as Lalati Devi W/o Kishori Lal R/o G-9/129, Gali No. 9, Sangam Vihar, Hamdard Nagar, Pushpa Bhawan, Distt. South Delhi-110062 have changed my name and shall hereafter be known as Malti Devi. C-50969

I, Farhat Sultan W/o Mohammed Tariq D/o Sultan Ahmed R/o 2479, Tilak Bazar, Chhota Rang Mahal, Naya Bazar, Delhi-110006 have changed my name after marriage to Farhat Tariq for all future purposes. C-50969

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rules 20 of the Code of Civil Procedures)
IN THE COURT OF SH. VINOD YADAV, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT), NORTH-WEST DISTRICT, DELHI, ROOM NO. 406, ROHINI COURT, DELHI
CS (COMM) No. 57/2023
Next Date of Hearing 21.05.2024
ICICI Bank Ltd. ...Plaintiff
Vs
Arjun Singh ...Defendant
To,
Arjun Singh R/o A-2/190, First Floor, Sec-8, Rohini, Delhi-110 085. Mob. No. 9891798128.

WHEREAS you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **21st day of May, 2024** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court on this **14th day of February, 2024.**

**District Judge
(Commercial Court)
North-West Rohini, Delhi**

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF PREETI AGRAWAL GUPTA, LD. DISTT. JUDGE (COMMERCIAL COURT- 01, NORTH-WEST DISTRICT, DELHI, ROOM NO. 406, ROHINI COURT, DELHI
CS (COMM) NO. 204/2019
Next Date of Hearing:- 02-07-2024
ICICI BANK LTD. ...Plaintiff
Vs
JANMEJAY ...Defendant
TO,
JANMEJAY, S/O JOGENDER CHAUHAN,
1st ADD- R/O- H-137/2, SHIV DURGA VIHAR, LAKKARPUR SURAJ KUND, FARIDABAD, HARYANA-121 009,
2nd ADD-AT- QUIKR INDIA PVT. LTD., A-41, LEVEL-1, MOHAN CO-OPERATIVE ESTATE, MAIN MATHURA ROAD, NEW DELHI-110 044.
3rd ADD- QUIKR INDIA PVT. LTD., DESIGNATION TELESALES, A-41, LEVEL-1, MOHAN CO-OPERATIVE ESTATE, MAIN MATHURA ROAD, NEW DELHI- 110 044.
(COPY OF MEMO OF PARTIES ATTACHED HEREWITH FOR ADDRESS)

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not file your written statement, in accordance with Commercial Court Act, 2015, within 30 days of this Publication and not defend the case on the **02-07-2024 at 10:00** am fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte. Requisite copies may be obtained from office of the court, in advance.

Given under my hand and the seal of the Court this **17day of February, 2024.**

DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT)- 01, NORTH-WEST ROHINI DELHI

In The High Court of Delhi at New Delhi
Notice under order V rule 20 Code of Civil Procedure
Publication Notice
MACA 9/2020 & CM Appls 925 & 926/2020
Appeal against order dated 20.12.2018.
Passed By Ms. Hemani Malhotra, Judge, MACT-2, West, Tis Hazari Court, Delhi, in Petition No. 77215/2016.
Vijay Singh ....Appellants
Versus
Kali Ram Goyal & Ors
(The New India Assu. Co. Ltd. & The Oriental Ins Co. Ltd.)
.....Respondents
Resp. 7:- Mahesh S/o Shyam Address:- C-5/16, Sector-5, Rohini, Delhi-110085.
Resp. 12:- Dilip Kumar S/o Laxman Dass Address:- C-10/50, Sector-5, Rohini, Delhi-110085.

Whereas the above noted appellant has presented an appeal Under Section 173 of MV Act which was listed before Court on 13/01/2020 and the Court ordered issuance of notice to you and Notice of the application were also ordered to be issued to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned appeal & application you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Joint Registrar (Judicial) on **27/05/2024 at 11:00 AM.**

If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorised to act for you in the said appeal & application on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said appeal & application will be given and the same will be heard and determined ex-parte in your absence.

Given under my hand and the seal of this Court, this the 1st February, 2024.

**Seal Assistant Registrar (Civil-IV)
For Registrar General**

**Himachal Pradesh
Public Works Department**
E-Procurement Notice
Invitation For Bids (IFB)

1. The Executive Engineer, HPPWD Kotkhai, Distt. Shimla, H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System of the under mentioned work from the eligible and approved contractors / firms registered with HPPWD Department.

Job No. 1., Name of Work: C/o Bari Gahrog Sarandhar road in K.M. 0/00 to 1/185 (SH:- Providing and Laying Kharanja stone soling in K.M. 0/250 to 1/185), **Estimated Cost:** Rs. 16,00,564/-, **EMD:** Rs. 32,100/-, **Cost of Tender:** Rs. 500/-, **Time Period:** Two Month, **Eligible class of contractor:** Class D & Class C

Tender document and other instruction scan be downloaded or viewed online from the portal https://hptenders.gov.in by the firm / individual registered on the website which is free of cost.

Key Dates:-

1. Date of Online Publication: 12.03.2024 1100 HRS
2. Document Download Start and End Date: 12.03.2024 1130 HRS upto 16.03.2024 1730 HRS
3. Bid Submission Start and End Date 12.03.2024 1130 HRS upto 16.03.2024 1800 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document: 18.03.2024 upto 1030 HRS
5. Date of Technical Bid Opening: 18.03.2024 1100 HRS
6. Evaluation of Technical Bid flowed by Opening of Financial Bid. Date to be announced

Executive Engineer,
RO No. 6847/2023-2024 (B&R) Division HPPWD, Kotkhai.
On behalf of Governor of Himachal Pradesh

OMKARA

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U67100TZ2014PTC020363
कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई–400028, संपर्क नं. 8850593980

(परिशिष्ट–4–ए) (देखें नियम 8(6) के प्रावधान)
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता मैसर्स ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड (कर्जदार), श्री ओम प्रकाश राजगरहिया (निदेशक एवं गारंटर), श्री हर्ष वर्धन राजगरहिया (निदेशक एवं गारंटर) और श्रीमती अनिता राजगरहिया (निदेशक एवं गारंटर) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास नीचे वर्णित बंधक/प्रभारित अचल संपत्तियां जिनका आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 10.03.2021 को भौतिक कब्जा लिया है और उसे एसाइनमेंट समझौता दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार को एसाइन किया गया है, उसे ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के उपरोक्त वर्णित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर से बकाया 26.07.203 को रु. 10,24,56,622/– (दस करोड़ चौबीस लाख छप्पन हजार छह सौ बाईस रुपए) प्लस 27.07.2023 से ब्याज एवं व्यय की वसूली के लिए 30.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे के बीच "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बेचा जाएगा (बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.03.2024 को सायं 5.00 बजे)। लॉट नं. 1 पर संपत्ति के लिए – आरक्षित मूल्य रु. 1,60,00,000/– (एक करोड़ साठ लाख रुपए) और धरोहर जमा राशि रु. 16,00,000/– (सोलह लाख रुपए) होगी। लॉट नं. 2 पर संपत्ति के लिए – आरक्षित मूल्य रु. 2,20,00,000/– (दो करोड़ बीस लाख रुपए) और धरोहर जमा राशि रु. 22,00,000/– (बाइस लाख रुपए) होगी। लॉट नं. 3 पर संपत्ति के लिए – आरक्षित मूल्य रु. 1,70,00,000/– (एक करोड़ सत्तर लाख रुपए) और धरोहर जमा राशि रु. 17,00,000/– (सत्रह लाख रुपए) होगी। ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकार पीएस 09/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्यरत) ने एसाइनमेंट समझौता दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड से अंडरलाइंग सिक्योरिटी के साथ उपरोक्त कथित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर के अधीन संपूर्ण बकाया के साथ अधिग्रहित किया है। कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का ध्यान सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के अंतर्गत प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियों, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर जमा राशि तथा ज्ञात अधिभार (यदि कोई हो) का विवरण निम्नानुसार है:

संपत्ति का विवरण

सिदीपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 मे बेसमेंट, भूतल एवं तीसरे तल पर स्थित वाणिज्यिक संपत्ति के विवरण एवं ब्यौरे के साथ उस पर सभी वर्तमान एवं भावी सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, निर्माण और के साथ उससे जुड़ी भूमि के सभी अधिकार, हकविलेख एवं ब्याज आदि सहित लेकिन सीमित नहीं ग्रहणाधिकार (पेटेंट या लेटेंट), राइट ऑफ वे और उपरोक्त वर्णित सभी फिक्चर्स, फिटिंग्स, अटेचमेंट, बेनिफिट, फैसिलिटी, प्रिविलेज, एडवांटेज, आदि और भूमि से जुड़े या उससे संबंधित सभी अधिकार और सभी भाग एवं हिस्से।

लॉट नं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
लॉट नं. 1.	संपूर्ण बेसमेंट, भाग डी, निगम सं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, सिदीपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, परिमाप 250 वर्ग यार्ड।	रु. 1,60,00,000/–	रु. 16,00,000/–
लॉट नं. 2	संपूर्ण भूतल, भाग डी, निगम सं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, सिदीपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, परिमाप 250 वर्ग यार्ड।	रु. 2,20,00,000/–	रु. 22,00,000/–
लॉट नं. 3	रूफ लेवल के बिना तीसरे तल का पूर्वी तरफ आधा भाग, भाग डी, निगम सं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, सिदीपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, परिमाप 222 वर्ग यार्ड (2000 वर्ग फीट)।	रु. 1,70,00,000/–	रु. 17,00,000/–

ई–नीलामी की तिथि: 30.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे, न्यूनतम बोली बढ़ोत्तरी राशि: रु. 5,00,000/–, प्रतिभागिता के लिए बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी के प्रमाण जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 29.03.2024 को सायं 5.00 बजे, कब्जे की स्थिति: भौतिक ज्ञात देनदारियां/अधिभार: ज्ञात नहीं

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://omkaraarc.com/auction.php पर दिये गये लिंक को देखें। बोलीदाता वेबसाइट https://www.bankeauction.com भी देख सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., फोन हेल्पलाइन +91–7291981124/25/26 हेल्पलाइन ई–मेल आईडी support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते हैं या श्री भाविक पांड्या, मोबाइल 8866682937 ई–मेल maharashtra@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं।

15 (पन्द्रह दिन) की सूचना

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों के लिए पन्द्रह दिन की सूचना भी है।

कृते ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 09/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्यरत)
दिनांक: 12.03.2024 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली (सुश्री रितेश सावंत +91 9967927525)

SHRIRAM Finance

श्रीराम फायनान्स लिमिटेड
(पूर्व में श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

सार्वजनिक सूचना

हमारे ग्राहकों को और जनता को सूचित किया जाता है को, हमारी अलीगढ़ - 1 शाखा जो न: 3/272, एच्एम कॉम्प्लेक्स, एक्सिस बैंक के सामने, रामघाट रोड, निरंजन पुरी, अलिगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 में है, वह अब 24 जुन, 2024 से पहली मंजिल, न. एस-5 (हॉल), देवेंद्र मार्केट, रामघाट रोड, अलिगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 यहाँ स्थानांतरीत की जाएगी।

ग्राहकों से निवेदन है की अन्य किसी भी सहायता के लिए नई शाखा से संपर्क करें।

क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चौथी तल, जीवन तारा बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

टीए. सं. 1534/2023 दिनांक 31-01-2024
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आवेदक
बनाम
श्री संजय जुयाल एवं अन्य प्रत्यर्थी
सेवा में
प्रतिवादी

1. श्री संजय जुयाल पुत्र श्री दिला दत्त जुयाल, प्लॉट नं. 56, ऊपरी भूतल, सामने की तरफ, गली नं. 7 भगवती गार्डन एक्सटेंशन ब्लॉक–बी, नई दिल्ली–59 और एडमिन मैनेजर [illegible] प्रा. लि. ए 44/45 सेक्टर–62 टॉवर–सी, नोएडा, और पुंज–लॉयड लि. कॉर्पोरेट कार्यालय – I–78 औद्योगिक एस्टेट प्लॉट नं. 78, सेक्टर–32 इंस्टीट्यूशनल, क्षेत्र गुड़गांव हरि. – 122001
2. श्रीमती शकुंतला जुयाल पत्नी संजय जुयाल, प्लॉट नं. 56, ऊपरी भूतल, सामने की तरफ, गली नं. 7 भगवती गार्डन एक्सटेंशन ब्लॉक–बी, नई दिल्ली–59 और पुंज–लॉयड लि. कॉर्पोरेट कार्यालय – I–78, औद्योगिक एस्टेट प्लॉट नं. 78, सेक्टर–32 इंस्टीट्यूशनल, क्षेत्र गुड़गांव हरि. – 122001

यह कि उपर्युक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये 16,51,791/- (रु सोलह लाख इक्यावन हजार सात सौ इक्यानवे मात्र) की वसूली हेतु वाद दायर कर रखा है और प्रतिकरण संतुष्ट है कि आपको साधारण तरीके से यह नोटिस नहीं दिया जा सकता है, अतः इस नोटिस को प्रकाशित करवा कर यह नोटिस देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 31.07.2024 को प्रातः 10.30 बजे प्रतिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

सूचित रहे कि यदि आप उपरोक्तानुसार तय दिन व समय पर प्रतिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते है तो आपकी अनुपस्थिति मे सुनवाई कर वाद को निर्णित किया जा सकता है।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:–

(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा ली जाने वाली सुनवाई के मामले की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT के आधिकारिक पोर्टल अर्थात "drt.gov.in" की दैनिक वाद की सूची मे प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, [illegible] संबंधित अधिकारी से फोन 23748478 पर संपर्क कर सकते है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 31 जनवरी, 2024 को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक अधिकारी,
डीआरटी – II, दिल्ली

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following members of the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX) / National Commodity Clearing Ltd. (NCCL) have requested for the surrender of their membership rights of the NCDEX/NCCL

Sr. No.	TMID	SEBI Registration Number	Name of the Member	Date of surrender application	Member's Correspondence Address	Claim Period from the date of notification
1	[illegible]	[illegible]	Superior Agro Crops Private Limited	[illegible]	C-36/6, Lawrence Road Ind Area, Delhi - 110035	2 Months
2	1299	[illegible]	[illegible] Securities Private Limited	2-Feb-23	A-36, Sector 67, Noida - 201301	1 Months

General public is requested to take note of the surrender of the above member(s) and not to trade/clear with the said member(s) in future.

The registered constituent (s) of the aforesaid member(s) who have undertaken any trades/clearing through these member(s) are hereby advised to lodge the claims, if any against the said member(s) within the abovementioned claim period from the date of this notification, failing which, it shall be presumed that there is no claim against the aforesaid member(s) and that all claims against the member(s) shall be deemed to be waived off. Adjudication of the claim shall be at the sole discretion of the Exchange and/or upon the regulatory directives, if any.

The constituent(s) may write with all the relevant papers to Ms. Smita Chaudhary, Senior Vice President, Investor Services Centre (ISC) department, National Commodity & Derivatives Exchange Ltd. Akruti Corporate Park, LBS Marg, KanjurMarg (W), Mumbai 400 078 or email at ig@ncdex.com

Mumbai
Date: 12.03.2024

NCDEX

पहचान की अपील

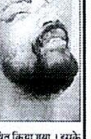

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति का शव जिसका नाम: नामालूम, पुत्र: नामालूम, पता: नामालूम, उम्र: 35 साल, कद: 5'7", रंग: गेहुँआ, पहचान चिह्न: दाहिने हाथ पर ॐ टैटू, चोट के निशान: दोनों पैर घुटनों के नीचे से कटे हुए है, सिर और शरीर पर चोट का निशान, पहनावा-लाल रंग की जैकेट और काले रंग की लोअर पहने हुए है। जो दिनांक 07.03.2024 को ट्रेन दुर्घटना के बाद मैक्स अस्पताल के सामने शालीमार बाग के पास मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में मिला। जिसे एमएलसी नं. 246269/24 पर बीजेआरएम अस्पताल दिल्ली से रेफर एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली में भर्ती किया गया। जिसे दिनांक 08.03.2024 को इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया गया। इसके मृत शरीर को पहचान के लिए एलएनजेपी अस्पताल मोर्चरी, दिल्ली में 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस संदर्भ में डीडी संख्या. 12A दिनांक 08.03.2024 को पुलिस थाना सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, दिल्ली में दर्ज है।

स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी इस मृत व्यक्ति का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

थानाअध्यक्ष
पुलिस थाना सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, दिल्ली
DP/2851/Rly/2024 Ph. : 011-23692455, 7011994394, 9810615886

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82Cr. P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मो. इब्राहिम उर्फ हेलमेट पुत्र श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी– झुग्गी नंबर एन–38/बी–71, सीडी पार्क, जहांगीरपुरी, दिल्ली ने मुकदमा संख्या 11/2020 धारा 392/411 IPC अन्तर्गत थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मो. इब्राहिम उर्फ हेलमेट मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मो. इब्राहिम उर्फ हेलमेट फरार हो गया है (या उक्त वारंट के तामील से बचने के लिये अपने आपको छिपा रहा है)।

अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि मुकदमा संख्या 11/2020 धारा 392/411 IPC अन्तर्गत थाना महेन्द्र पार्क, दिल्ली के उक्त अभियुक्त मो. इब्राहिम उर्फ हेलमेट से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 10.04.2024 को या इससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
सुश्री निहारिका कुमार शर्मा
अति. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी
उत्तर, कमरा नं0 117,
DP/2853/NW/2024 (Court Matter) रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

पूर्णकालीन ई.–निविदा सूचना–निम्नलिखित कार्य हेतु ई–टैण्डरिंग माध्यम से निविदाए निर्धारित तिथि समय दोपहर 12.00 तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन 15.00 बजे ई–पोर्टल पर खोली जायेगीं। निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई–टैण्डर वैब साईट www.etender.up.nic.in एवं www.pvvnl.org पर उपलब्ध करायी जायेगी। विस्तार से सभी जानकारी हेतु उक्त साईट पर लॉग ऑन करें। निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि 12.04.2024, बिजनेस प्लान 2024–25 में वी.सी.बी./स्विचयार्ड/सबस्टेशन इत्यादि एवं अन्य कार्य ई.नि.सं.–125/2023–24–वि.वि.ख.–प्र.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–126/2023–24–वि.वि.ख.–द्वि. हापुड़ हेतु ई.नि.सं.–127/2023–24–वि.वि.ख.–गढ़ हेतु, बिजनेस प्लान 2024–25 में डी.ओ. फ्यूज सैट/टेललेस यूनिट/डी.पी./एमसीबी इत्यादि एवं अन्य कार्य, ई.नि.सं.–128/2023–24– वि.वि.ख. प्र.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–129/2023–24–वि.वि.ख.–द्वि. हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–130/2023–24–वि.वि.ख.–गढ़ हेतु, बिजनेस प्लान 2024–25 में जर्जर/पोल निर्माण/पिलिन्थ/नई लाईन/क्षमतावृद्धि इत्यादि एवं अन्य कार्य, ई.नि.सं.–131/2023–24–वि.वि.ख. प्र.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–132/ 2023–24–वि.वि.ख.–द्वि.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–133/2023–24–वि.वि.ख.–गढ़ हेतु, विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री की आपूर्ति ई.नि.सं.–134/2023–24–वि.वि.ख.–प्र.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–135/2023–24–वि.वि.ख.–द्वि.हापुड़ हेतु, ई.नि.सं.–136/2023–24–वि.वि.ख.–गढ़ हेतु, "राष्ट्रहित मे बिजली बचाएं"। अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड़, पत्रांक 4468/11.03.2024

उत्तर मध्य रेलवे

G2G

ई-प्रापण निविदा सूचना सं.। कानपुर वि.क्र.डिपो./2023-24/34 दिनांक 06.03.2024

ई–प्रापण निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ सामग्री प्रबंधक ई.टी.डी./सी.एन.बी. निम्नलिखित मदो के लिए ई-प्रापण निविदाये आमंत्रित करते हैं।

निविदा सं.	माल का विवरण	मात्रा
57235026D	Supply, installation and commissioning of Lightweight towing trolley set (for tracking axle lock of DSL/Electric loco, coach and wagons) to N.Rly. drawing no. CME/SK. No. 01-448/DSL and as per specification attached.	01 Set.
निविदा खोलने की तिथि: 27.03.24	बयाना राशि: NIL	

नोट: 1. उपरोक्त सभी ई प्रापण निविदाओं का पूरा विवरण IREPS वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 2. उपरोक्त निविदाओं हेतु ई बिड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में बिड स्वीकार नही की जायगी। वेंडरों को चाहिए कि वे अपने आपको आई टी एक्ट 2000 के अंतर्गत CCA द्वारा जारी (Class III) डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ आईआरपीएस की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. निविदा की दरें केवल डिजीटल हस्ताक्षरित फाइनेंसियल रेट पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रभार अन्य किसी भी फर्म लेटर हेड पर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सीधे तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा।

396/24(BG)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

---

वैधानिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता और उनके विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापन के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।